गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 164वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 11.03.2024 का कार्यवृत्त

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 164वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 11.03.2024 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों द्वारा भाग लिया गया :–

1.	श्रीमती सेल्वा कुमारी जे., आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।	अध्यक्ष
2.	श्री इन्द्र विक्रम सिंह, जिलाधिकारी, गाजियाबाद/उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।	उपाध्यक्ष/सदस्य
3.	जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के प्रतिनिधि श्री बच्चू सिंह, अपर जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।	सदस्य
4.	नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद के प्रतिनिधि श्री देशराज सिंह, अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, गाजियाबाद।	सदस्य
5.	श्री अतुल कुमार सिंह, अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन मेरठ मण्डल, मेरठ।	सदस्य
6.	श्री सतीश चन्द्र गौड, चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर, एन0सी0आर सेल, गाजियाबाद।	सदस्य
7.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ एवं चीफ कोर्डिनेटर, एन0सी0आर0 प्लानिंग सेल के प्रतिनिधि श्री सतीश चन्द्र गौड, चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर एन0सी0आर सेल, गाजियाबाद।	सदस्य
8.	श्री राकेश चन्द्र, अधीक्षण अभियन्ता, आवास विकास परिषद, वसुन्धरा।	सदस्य
9.	श्री प्रदीप कुमार सत्यार्थी, प्रबन्धक, यू0पी0एस0आई0डी0ए0, गाजियाबाद।	सदस्य
10.	श्री पवन गोयल	गैर सरकारी सदस्य

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदया एवं अन्य सदस्यों का स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक के एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त सर्व–सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

मद सं0	विषय	निर्णय
164/1 प्रशासन	प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 25.11.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि शासन से महायोजना–2031 की स्वीकृति उपरान्त प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाय।
164/2 प्रशासन	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 163वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 25.11.2023 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि शासन से महायोजना–2031 की स्वीकृति उपरान्त प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाय।
164/3 नियोजन	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित) में किये गये संशोधनों को परिचालन के माध्यम से स्वीकृत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित) में किये गये संशोधनों को परिचालन के माध्यम से स्वीकृत प्रस्ताव को मा0 बोर्ड द्वारा अवलोकन करते हुए अनुमोदित किया गया।
164/4 लेखानुभाग	शेल्टर फीस के खाते में जमा धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या–3267/आठ–16–80 विविध/10 दिनांक 24 अक्टूबर 2016 परिचालन के माध्यम से स्वीकृत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त शेल्टर फीस के खाते में जमा धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या–3267/आठ–16 –80 विविध/10 दिनांक 24 अक्टूबर 2016 परिचालन के माध्यम से स्वीकृत प्रस्ताव को मा0 बोर्ड द्वारा अवलोकन करते हुए अनुमोदित किया गया।
164/5 लेखानुभाग	वित्तीय वर्ष–2022–23 की बैलेन्सशीट का अनुमोदन किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त वित्तीय वर्ष–2022–23 की बैलेन्सशीट का मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
164/6 सुरक्षा	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन कार्य/अतिक्रमण व्यवस्था एवं प्राधिकरण सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु होमगार्डस नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन कार्य/अतिक्रमण व्यवस्था एवं प्राधिकरण सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु होमगार्डस नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर मा0 बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।
164/7 मुख्य अभियन्ता	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में ई–निविदा की नियम व शर्तो में 02 अतिरिक्त शर्तो को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में ई–निविदा की नियम व शर्तो में 02 अतिरिक्त शर्तो को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
164/8 मुख्य अभियन्ता	प्रताप विहार सेक्टर–11 के एच–ब्लॉक तथा राजेन्द्रनगर योजना के सैक्टर 02 में निर्मित भवनों के सीलिंग मूल्य एवं अंतिम मूल्यॉकन के अनुसार बढी हुई लागत के अन्तर के समायोजन के सम्बन्ध में।	प्रताप विहार सेक्टर–11 के एच–ब्लॉक तथा राजेन्द्रनगर योजना के सैक्टर 02 में निर्मित भवनों के सीलिंग मूल्य एवं अंतिम मूल्यॉकन के अनुसार बढी हुई लागत के अन्तर के समायोजन को मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

164/9 प्रशासन	शासन द्वारा प्राधिकरण सेवा के कार्मिकों के लिये उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचार्य) नियमावली–2011 एवं यथा संशोधित नियमावली–2014 के सम्बन्ध में।	शासन द्वारा प्राधिकरण सेवा के कार्मिकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी चिकित्सा नियमावली–2011 एवं यथासंशोधित नियमावली–2014 को प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 05.10.2015 में अंगीकार किया गया है। प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत सन्दर्भित नियमावली के अनुसार सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को अन्य प्राधिकरणों द्वारा उक्त नियमावली का लाभ दिये जाने के सम्बंध में प्रदेश के किसी भी प्राधिकरण द्वारा अंगीकार नहीं किया गया है, के दृष्टिगत मा0 बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त उक्त चिकित्सा नियमावली का लाभ सेवानिवृत्त कार्मिकों/उनके आश्रितों को दिये जाने को स्थगित रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
164/10 प्रशासन	श्री जानकी शरण मिश्रा, सहायक अभियन्ता गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के चिकित्सा ईलाज में हुए व्यय की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
164/11 प्रशासन	श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व0 श्री लोकेन्द्र पाल सिंह के पति स्व0 श्री लोकेन्द्र पाल सिंह, हैल्पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के चिकित्सा ईलाज में हुए व्यय की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
164/12 लेखा अनुभाग	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष–2023–24 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष–2024–25 का प्रस्तावित का अनुमानित आय–व्ययक परिचालन के माध्यम से स्वीकृत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ।	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष–2023–24 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष–2024–25 का प्रस्तावित अनुमानित आय–व्ययक परिचालन के माध्यम से मा0 बोर्ड द्वारा अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।
164/13 नियोजन	1. विकासकर्ता के वैध स्वामित्व की रू0 401.30 करोड़ के समतुल्य भूमि विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में नियमानुसार बंधक रखने के उपरान्त ही संशोधित डी.पी.आर. निर्गत की जाये। 2. यदि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आडिट आपत्ति के अन्तिम निस्तारण में उक्त राशि पर ब्याज सहित अथवा अन्य किसी पद्धति से शुल्क की गणना कर शुल्क वसूल किये जाने का आदेश पारित	बिन्दु संख्या–1 व 2 के सम्बन्ध में डी.पी.आर. इस शर्त के साथ अनुमोदित किया जाता है कि डी.पी.आर. निर्गत करने के पूर्व संस्था के बकाया के सम्बन्ध में हाई पॉवर कमेटी के निर्देशों एवं जी.डी.ए. के नियमों के तहत नियमानुसार कार्यवाही उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पन्न करायी जाये। बिन्दु संख्या–3 के सम्बन्ध में तलपट मानचित्र बोर्ड का विषय ना होने के कारण इस पर विचार नहीं किया गया एवं तलपट मानचित्र की स्वीकृति

	किया जाता है, तो विकासकर्ता सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के लिये बाध्य होगा, विकासकर्ता से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही डी.पी.आर निर्गत किया जाये। 3. तलपट मानचित्र के क्रम में उपरोक्त वर्णित शर्तों के अनुपालन सुनिश्चित होने के उपरान्त तलपट मानचित्र स्वीकृत/निर्गत किया जाये।	हेतु कार्यवाही उत्तर प्रदेश नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत सक्षम प्राधिकारी/उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सभी नियमों का पालन करते हुए किया जाये।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई ।

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

अनुमोदित

14/3/24

(सेल्वा कुमारी जे.)
अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण/
आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।